

भाग- IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	अलीराजपुर जिले में ADB-6 योजना के अन्तर्गत भाभरा-कटुठीवाड़ा-खेड़ा मार्ग के निर्माण हेतु 18.501 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 18.33 हेक्टेयर) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, धार को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	--

तिथि:- 27/10/2021
स्थान:- भोपाल।


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal

50